


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.
R-3245-II/16



श्री दुष्यन्त कुमार सिंह-15
22/9/16
17
229/16

मो. मक्की उम्र 59 वर्ष तनय मरहूम हाफिज अब्दुल हमीद पेशा कृषि निवासी तहरटी तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

- 1- हफीकुन्निशा उम्र 65 वर्ष पत्नी मरहूम असगर अली
- 2- अनावरूल हक उम्र 40 वर्ष
- 3- पाले खान उर्फ अंसारूल हक उम्र 28 वर्ष दोनों के पिता मरहूम असगर अली, सभी निवासी मोहल्ला तरहटी टोला तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.
- 4- मो.वसीम उम्र 25 वर्ष
- 5- मो.सलीम उम्र 30 वर्ष दोनों की माता रफीकुन निषा तनय मो. हलीम निवासी नीम चौराहा बोदाबाग, तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.
- 6- कदीरून निशा उम्र 35 वर्ष पुत्री मरहूम असगर अली पत्नी बब्बू अंसारी निवासी मोहल्ला तरहटी तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.
- 7- अफसाना बेगम उम्र 30 वर्ष पुत्री मरहूम असगर अली पत्नी आशिक खान निवासी मोहल्ला घोघर तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।
- 8- श्रीमती सलमा बेगम उम्र 25 वर्ष पुत्री मरहूम असगर अली पत्नी मो. सादिक खान निवासी रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

.....गैरनिगरानीकर्ता/गैरपुनरीक्षणकर्ता

(Signature)
दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं सैन्य कोर्ट
ग्वालियर-3

पुनरीक्षण (निगरानी) विरुद्ध
1-DATE OF ORDER - 02-09-2016
2-PASSED IN CASE-141/पुनर्विलोकन
/2015-16
3-PASSED BY-अपर कमिश्नर रीवा संभाग
रीवा।
अपास्त कर पुनरीक्षण/निगरानी स्वीकार


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3245-दो/2016

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-11-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री डी0एस0 चौहान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर नो इंड्रक्शन के निर्देश होना बताया। अनावेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर ने उपस्थित होकर प्रकरण की प्रचलनशीलता पर तर्क किये। अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>2/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि सर्वप्रथम आवेदक अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं थे और उनके द्वारा इस निगरानी प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बावत प्रथक से आदेश 1 नियम 10 का आवेदन निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के अपील आदेश के विरुद्ध आयुक्त रीवा के समक्ष पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया था जो निरस्त हो चुका है। आवेदक द्वारा पुनः अपर आयुक्त के समक्ष पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया था जिसे अपर आयुक्त ने ग्राह्य योग्य न पाते हुये निरस्त किया है। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। पुनर्विलोकन आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और ऐसे आदेश के विरुद्ध निगरानी भी प्रचलन योग्य नहीं है।</p> <p>3/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तर्क में बताये दोनों ही सिद्ध होते हैं। प्रकरण के साथ आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत नहीं है तथा आवेदक द्वारा आयुक्त के पुनर्विलोकन आदेश के</p>	

विरुद्ध इस न्यायालय में पूर्व से अपील प्रचलित होने से इस निगरानी के प्रचलन का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होते पाते हुये इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


(एस. एस. अली)
सदस्य

M